

609/04/05/16
24.08.2016

राजस्थान सरकार
कृषि (गुप-2) विभाग

क्रमांक प0 10(2) कृषि/गुप-2/75

जयपुर दिनांक 23 AUG 2016

अधिसूचना

D (R)
3.08.16
राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या प. 10(2) कृषि/गुप-2/75 दिनांक 23.04.1977 के क्रम में राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करने की घोषणा करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में क्रम संख्या 6 पर अंकित 'सब्जियां' शीर्षक अन्तर्गत 'लहसुन' को यथावत रखते हुए क्रम संख्या 8 पर अंकित 'मसाले' शीर्षक अन्तर्गत भी लहसुन को सम्मिलित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

६०

(रामावतार गुप्ता)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली ।

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

उप शासन सचिव

क्रमांक: प.4(33)निकृवि/निय./कृषि जिन्स /2016/ 20243-388

दिनांक: 29.08.16

राज्य सरकार का उक्त अधिसूचना पत्रांक प.10(2)कृषि/गुप-2/75 दिनांक 23.08.2016 निम्न को कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है :-

1. क्षेत्रीय संयुक्त / उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड-समस्त।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।

(दिनेश कुमार सिंह)
निदेशक
कृषि विपणन